न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 89/2012/223 आर टी ए

जगजीत कौर पत्नि बेशाखासिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. गुरमेलसिंह पुत्र चननसिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 बीएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. नायबसिंह पुत्र चननसिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 बीएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. टहलसिंह पुत्र चननसिंह जाति जटसिख निवासी खुनीचक तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. बबीता देवी पत्नि पवनकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी जवाहर नगर श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा।

––रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2011 न्यायालय सहायक कलैक्टर पीलीबंगा प्रकरण सं. 51/06 अनवानी गुरमेलसिंह बनाम टहलसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता अपीलांट

श्री रमेशदास पुरोहित अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 3

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5

निर्णय दिनांकः–11.01.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश कर वादग्रस्त भूमि का खाता विभाजन हेतु अनुतोष चाहा गया, अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वादपत्र डिक्री किया जाकर अपीलांट/प्रतिवादी का काउंटर क्लेम खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की कब्जा काश्त की भूमि का खाता विभाजन वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के कहे अनुसार घरेलू बंटवारा मानते हुए अंतिम डिक्री किया जाकर अपीलांट का प्रतिदावा खारिज किया गया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का कब्जा काश्त को अनदेखा करते हुए अपीलांट के कब्जा काश्त की खरीदशुदा भूमि को वादी की मानते हुए बिना विभाजन प्रस्ताव मंगवाये दावा मे अंतिम डिक्री पारित की गयी है जो काबिले खारिज है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता प्रतिदावा प्रस्तुत कर दिया तथा अधिवक्ता ने यह आश्वासन दिया कि जब भी आपकी गवाही वगैरा होगी तब आपको सुचना दे दी जावेगी। आपको प्रत्येक तारीख पेशी पर आने की आवश्यकता नही है इसलिए अपीलांट प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित नही हुई तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के संबंध मे अपील प्रस्तुत होने से पूर्व तक कोई सूचना नही दी गई। दिनांक 18.05.2012 को रेस्पो0 सं. 1 ने ऐनानिया तौर पर कहां कि आपके कब्जा काश्त की खरीदशुदा भूमि की डिक्री मेरे नाम से करवा ली है और अब आपको कब्जा से बेदखल करूगां। तब अपीलांट ने दिनांक 21.05.2012 को अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का पता किया और दिनांक 23.05.2012 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त करते हुए अपील प्रस्तुत की इसलिए अपील ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जाकर देरी माफ की जावें। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2002(1) पेज 648, आरआरटी 2001(2) पेज 1304 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खाता तकसीम

बाबत वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमे प्रतिवादी सं. 1 व 2/रेस्पो0 सं. 2 व 3 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया और अपीलांट द्वारा जवाबदावा मय कांउटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये अपीलांट के काउंटर क्लेम को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के कारण खारिज किया जाकर रेस्पो0 के वाद डिक्री किया गया है जो सही है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान शुरू से ही रहा है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। इस विलम्ब को क्षमा दान करने हेतु जो कारण अपीलांट द्वारा बताये गये है उन कारणो के आधार पर विलम्ब को क्षमा नही किया जा सकता इसलिये अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ता 3 के नाम चक 5 बीएलडब्ल्यू मे 8.665 है0 नहरी भूमि दर्ज थी जिसमे रेस्पो0 सं. 3 ने अपने हक व हिस्सा की 2.888 है0 मे से 1.518 है0 भूमि दिनांक 24.08.05 को रेस्पो0 सं. 4 को जरिये पंजीकृत बैयनामा बैचान किया गया तथा अपने कब्जा काश्त भूमि प.न. 32/244 कि.न. 1, 6, 7, 8, 9, 10 कुल 6 बीघा भूमि का कब्जा रेस्पो0 सं. 4 को सौपा गया उक्त भूमि रेस्पो0 सं. 4 ने अपीलांट को जरिये बैयनामा दिनांक 31.07.06 को बैचान कर दी और उक्त किलाजात की कब्जा अपीलांट को सौपा गया जिसके अनुसार अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने ना तो खाता तकसीम के वाद मे विधिनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया है और ना ही खाता तकसीम करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया गया।

6. उपरोक्त परिस्थितियों मे अपीलाधीन प्रकरण मे बिना प्रभावित पक्षकारो को सुने तथा विभाजन के वाद बिना प्राथमिक डिक्री जारी कर प्रस्ताव मंगवाये बिना ही अपीलांट की जरिये पंजीकृत बैयनामा खरीदशुदा भूमि विभाजन मे वादी को देते हुये विभाजन का दावा डिक्री किया गया है। जिससे विभाजन के वाद मे विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे समस्त पक्षकारान की सहमति/राजीनामा नही होने पर वाद प्राथमिक किया जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2011 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलांट/प्रतिवादी सं. 5 के पक्ष मे निष्पादित पंजीकृत बैयनामा दिनांक 31.07.2006 को मध्यनजर रखते हुए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वाद मे प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए राजस्थान काश्तकारी

(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 12.02.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ